न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 11 / 2025(GCMS 2025/66)
(RTI No. 212726784431355)

श्री मुकन्द सिंह गांव 5 केएसडी, पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619–41862)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 30.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चौदह बिन्दुओं की सूचना चाही थी। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलाथी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को हस्तान्तरित कर दी थी। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2025 में अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे तथ्यहीन, आधी–अधूरी सूचनाएं दी है। अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के कार्मिक श्री सुखविन्द्र सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने व सेवा पुरितका में सेवा का दोष दर्ज करवाने एवं काननूी कार्यवाही करते हुए, सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2024 से निम्न चौदह बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय रायसिंहनगर में दिनांक 18.11.2025 को, जिला न्यायाधीश कार्यालय अनूपगढ दिनांक 19.11.2024, 29.11.2024 को बनाम पटवारी पवन मीणा कार्यरत तहसील रायसिंहनगर हल्का खाटां बारानी के विरूद्ध इन तीनों दिनांकों को प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
2. शिकायतकर्त्ता के ब्यानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
3. सुनवाई के लिए दिए गए नोटिस की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।
4. अप्रार्थी को स्पष्टीकरण की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
5. प्रार्थना पत्र व शिकायत की फैसला करने वाले लोक सेवक का पद नाम की सूची प्रमाणित चाही है मय सील चाही है।
6. शिकायत की जांच करने वाले लोक सेवक की पदनाम व मय सील सहित एवं जांच रिपोर्ट सहित प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 11/2025
(GCMS No. 2025/66)
(RTI No. : 212726784431355)

7. सम्पूर्ण पत्रावली के समस्त दस्तावेज चाहे है।
8. दोषी लोकसेवक के पद नाम की सूची के दस्तावेज चाहा हैं
9. चक खाटां बारानी के सरकारी भूमि की रक्षा करना एवं सुरक्षित रखना हल्का पटवारी पवन मीणा का बनाता है या फिर नहीं बनता, इसका लिखित में प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
10. प्रारम्भिक जांच के आदेशानुसार शिकायतों पर विधिवत क्रमानुसार कदम–कदम विवरण एवं नियमों का दस्तावेज चाहा है।
11. बिन्दु दस के अनुसार जांच नहीं होती है तो संज्ञेय अपराध की धाराएं एवं सक्षम लोकसेवक का पदनाम व मय सील सहित चाहा है।
12. पीआईओ अन्य विभाग धारा 6(3) को हस्तान्तरति करें अपने विभाग में धारा 5(4) में सूचनाएं मंगवाकर प्रार्थी को दिलवाने का श्रम करें।
13. आईपीओ क्रमांक भरकर भुगतान कर लेवे, प्रार्थी पूर्ण सहमति देता है।
14. बिन्दु एक के प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/57 दिनांक 17.02.2025 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

क्र. सं.	आवेदन में चाही गई सूचना	प्रतिउत्तर
1	उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय रायसिंहनगर में दिनांक 18.11.20245 को, जिला न्यायाधीश कार्यालय अनूपगढ दिनांक 19.11.2024, 29.11. 2024 को बनाम पटवारी पवन मीणा कार्यरत तहसील रायसिंहनगर हल्का खाटां बारानी के विरूद्ध इन तीनों दिनांकों के प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थना पत्र प्रमाणित दस्तावेज संलग्न है।
2	शिकायतकर्ता के ब्यानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित दस्तावेज संलग्न है।
3	सुनवाई के लिए दिए गए नोटिस की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।	कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित दस्तावेज संलग्न है।
4	अप्रार्थी को स्पष्टीकरणों का प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित दस्तावेज संलग्न है।
5	प्रार्थना पत्र व शिकायत का फैंसला करने वाले लोक सेवक का पद नाम	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में सूचना से तात्पर्य किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 11/2025
(GCMS No. 2025/66)
(RTI No. : 212726784431355)

	की सूची प्रमाणित चाही है मय सील चाही है।	स्वरूप में कोई सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, पैस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र, नमूने, मॉडल आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।
6	शिकायत की जांच करने वाले लोक सेवक की पदनाम व मय सील सहित एवं जांच रिपोर्ट सहित प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 5 अनुसार
7	सम्पूर्ण पत्रावली के समस्त दस्तावेज चाहे है।	इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित दस्तावेज संलग्न है।
8	दोषी लोकसेवक के पद नाम की सूची के दस्तावेज चाहा हैं।	बिन्दु संख्या 5 अनुसार
9	चक खाटां बारानी के सरकारी भूमि की रक्षा करना एवं सुरक्षित रखना हल्का पटवारी पवन मीणा का बनता है या फिर नहीं बनता इसका, लिखित में प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 5 अनुसार
10	प्रारम्भिक जांच के आदेशानुसार शिकायतों पर विधिवत क्रमानुसार कदम–कदम विवरण एवं नियमों का दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 5 अनुसार
11	बिन्दु दस के अनुसार जांच नहीं होती है तो संज्ञेय अपराध की धाराएं एवं सक्षम लोकसेवक का पदनाम व मय सील सहित चाहा है।	बिन्दु संख्या 5 अनुसार
12	पीआईओ अन्य विभाग धारा 6(3) को हस्तान्तरति करें अपने विभाग में धारा 5(4) में सूचनाएं मंगवाकर प्रार्थी को दिलवाने का श्रम करें।	बिन्दु संख्या 5 अनुसार
13	आईपीओ क्रमांक भरकर भुगतान कर लेवे, प्रार्थी पूर्ण सहमति देता है।	बिन्दु संख्या 5 अनुसार
14	बिन्दु एक के प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है।	इस कार्यालय में उलपब्ध [illegible] अनुसार प्रार्थना पत्र [illegible]णित [illegible] संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी [illegible] **रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 57 दिनांक 17.02.2025 से अपील का जवाब** [illegible]**नुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर** लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर